न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

01/18 तारीख रजू:– 29.1.18

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

धनबाई पत्नि दलगंजी
मीरा पत्नि महेश सिंह
रेखसिंह पुत्र कमलसिंह
वीरसिंह पुत्र कमल सिह
जसमत देवी पत्नि बहादुर सिंह
कविता पत्नि ब्रह्मम सिंह
मोहर कौर पत्नि दानजी
बाबूदेवी पत्नि भगवत
हरमुख पत्नि ठण्डीराम
भगवानी देवी पत्नि सतवीर
रामनिरी पत्नि राजेन्द्र
समस्त जाति गूर्जर निवासी मोडान का पुरा तहसील टोडाभीम।

प्रार्थीगण

बनाम

बिरजू सिंह पुत्र नंगू
रमेश पुत्र नंगू
भरत पुत्र नंगू
गोविन्द पुत्र नंगू
निहाल सिंह पुत्र नंगू
अनूप सिंह पुत्र निहाल
समस्त जातियान गूर्जर निवासी भादौली तहसील टोडाभीम।
तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र नियुक्ति रिसीवरी

उपस्थिति:– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रार्थीगण)
श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट (अप्रार्थीगण 1 ता 6)

निर्णय दिनांक:– 15.7.19

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्रम लालारामपुरा स्थित आराजी ख0न0 19 रकवा 0.12, 25 रकवा 0.51 है0 सायलान की खातेदारी भूमि है जिसमे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार से नही है। सायलान की उक्त आराजी ख0न0 19 रकवा 0.12 है0 के पश्चिम दिशा की और गैरसायलान न0 1 ता 5 की आराजीयात ख0न0 21 रकवा 0.17 है0 स्थित है तथा सायल की आराजी ख0न0 25 रकवा 0.51 है0 भूमि मे दक्षिण दिशा की और गैरसायलान की आराजी ख0न0 26 रकवा 0.30 है0 स्थित है। गैरसायलान लडाकू , भू–माफिया किस्म के व्यक्ति है। जिन्होंने कमजोर व सीधे व्यक्तियो की भूमि का हडपने के लिए एक गिरोह बना रखा है। सायल व गैरसायलान की भूमि लगवा होने के कारण सायल व गैरसायलान के विरूद्ध दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती उनवान

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

धनबाई बनाम निहाल सिंह न्यायालय हाजा मे पेश कर दिए जाने के कारण गैरसायलान, सायलान से रंजिश रखने लगे है, और सायलान की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे आये दिन डोल–मेड को तोडने व झगडा करने पर उतारू हो रहे है। दिनांक 5.11.17 को गैरसायलान अपने साथ टेक्टर व लाठी गण्डासी लेकर सायलान की आराजी ख0न0 19 रकबा 0.12 है0 पर आये और सायलान की आराजी की डोल–मेड को तोडकर गैरसायलान की भूमि आराजी ख0न0 21 मे मिला लिया। जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण कर सायलान की उक्त आराजी ख0न0 19 को गैरसायलान की आराजी ख0न0 21 मे मिलाकर सरसो की फसल बो दी। जिसकी सूचना थाना बालधाट पर भी दी गई। गाव के पंच पटैलो के समक्ष बात रखी उन्हौने गैरसायलान को काफी समझाया परन्तु गैरसायलान नही माने, और गैरसायलान के हौसले बुलन्द हो गये। माह दिसम्बर 17 मे सायल की आराजी ख0न0 25 रकबा 0.51 है0 मेसे 0.15 है0 को भी गैरसायलान की आराजी ख0न0 26 मे मिला लिया और कहा कि तुम्हारी सम्पूर्ण भूमि पर हम जबरन कब्जा करेगे, प्रशासन व गाव के पंच पटेल हमारा क्या बिगाड लेगे। इस प्रकार गैरसायलान द्वारा सायलान की भूमि पर किया कब्जा विधि विरूद्व है इसलिए उक्त आराजी ख0न0 19 रकबा 0.12 है0 स्थित ग्राम लालारामपुरा को रिसीवरी मे लिया जाना आवश्यक हुआ है। गैरसायलान ख0न0 19 रकवा 0.12 है0 भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करने पर आमदा हो रहे है। तथा सायलान को काश्त नही करने दे रहे है तथा पैदावार से होने वाली आय से वंचित कर रहे है। इसलिए गैरसायलान के विरूद्व सायलान को रिसीवरी का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अत प्रार्थना पत्र रिसीवरी पेश कर निवेदन है कि ग्राम लालारामपुरा की आराजी ख0न0 19 रकवा 0.12 है0 पर तहसीलदार टोडाभीम को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र रिसीवरी दर्ज रजिस्टर कर गेरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान 1 ता 6 जरिए श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट वकालतन उपस्थित हुए। गैरसायलान न0 7 वावजूद सूचना के उपस्थित नही। इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

गैरसायलान न0 1 ता 6 की ओर से जबाब पेश किया कि आराजी ख0न0 19 से सायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। ख0न0 19 के पश्चिम मे ख0न0 21 एवं ख0न0 25 के दक्षिण मे ख0न0 26 नही है, बल्कि मौजूदा शीट के मुताबिक सायलान का यह कथन कि गैरसायलान सायलान से रंजिश रखते है। सायलान की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे आये दिन सायलान की डोल–मेड को तोडने हेतु झगडा करने पर उतारू रहते है, बिल्कुल असत्य है। तथाकथित दिनांक 5.11.17 गलत एवं मनगंढत अंकित की है। सायलान का यह कथन कि विवादित आराजीयात वेस्ट डेमेज एण्ड ऐलीमेट की स्थिति मे है सही नही है। सही बात तो यह है कि उक्त आराजी गैरसायलान के पिता द्वारा खरीद किए जाने के समय से ही काबिज एवं काश्त है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि सायलान गैर मु. नदी ख0न0 1 एवं ख0न0 3 व 4 श्मसान की भूमि को दबाने के लिए, दबाब बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। आराजी ख0न0 19 रकवा 0.12 है0 भू–प्रबन्ध कर्मचारीयो ने साविक ख0न0 17 मिन रकवा 19 विस्वा से बनाया है। साबिक ख0न0 17 की खातेदारी पूर्व मे ग्राम नन्दपुरा हरीसिंह ,जगमोहन, बृजमोहन पि0 फैली जाति ब्राह्मण के नाम थी। उससे पूर्व यह आराजी फैली पुत्र भोला ब्राह्मण के नाम दर्ज थी। फैली पुत्र भोला ब्राह्मण ने यह आराजी अन्य आराजी के साथ गैरसायल न0 1 ता 5 के पिता नंगू

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

पुत्र मोहरे को बेचान कर कब्जा करा दिया। नंगू के पुत्र /वारिस होने के कारण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। साबिक ख0न0 17 रकबा 19 विस्वा का नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 10.12.1956 स्वीकृत होकर रिकार्ड जमाबन्दी मे सम्वत 2014 अंकन हो चुका है। लेकिन बाद मे राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही से गैरसायल के पिता का नाम इजाफ कर दिया जबकि कब्जा गैरसायलान काही चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र वावत रिसीवर कायम करने खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने कथन किया कि विवादित आराजीयात से गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है किन्तु जबरदस्ती सायलान की भूमि को गैरसायलान समीप की अपनी भूमि मे मिला रहे है। आराजी ख0न0 19 सायलान ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 2.09.2011 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। गैरसायलान ने जो क्रय करना बताया है उस वावत कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। भूमि का दिनांक 23.10.17 को सीमाज्ञान कराया है। दस्तावेजी साक्ष्य मे कही भी गैरसायलान की खातेदारी प्रमाणित नही होती है। पृथम दृष्टया प्रकरण मेरी खातेदारी का है जो मेरे अनुकुल है। विवाद को देखते हुए प्रार्थना पत्र वावत रिसीवर कायम करने स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र रिसीवर के जबाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं यह कथन किया कि बेजमाने बुजुर्गान क्रय की गई भूमि पर कब्जा काश्त है, सायलान का इस मुकदमे को करने का मुख्य उद्देश्य गैर.मु. नदी एवं गैर मु. शमसान की भूमि पर कब्जा करना है। विवादित भूमि के साबिक ख0न0 17 को गैरसायलान के बुजुर्ग नंगू ने 1956 मे ही क्रय किया था। इस भूमि पर लगातार गैरसायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र वावत रिसीवर कायम करने खारिज फरमाया जावे।

वकील उभपक्ष की बहस सुनी गई। बहस का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 22 ग्राम लालाराम पुरा मे ख0न0 19 रकबा 0.12 है0 की खातेदारी सायलान के नाम दर्ज है। सायलान द्वारा इसी ख0न0 को लेकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रस्तुत किया गया है। जिसमे गैरसायलान को सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त वर्णित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वावत रिसीवर कायम करने खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.7.19 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

15.7.19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner